

IMPLEMENTATION OF FINANCIAL UPGRADATION UNDER MACP SCHEME

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र संख्या ए-11019/1/2008-सी.डी.एन. दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या 35034/3/2008-स्था.(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय में ग्रूप 'ख' (अराजपित) स्थापना के आशुलिपिक ग्रेड 1 को उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स लेवल 8 में केंद्रीय सर्कार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम्.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय उन्नयन का लाभ दिया जाता है / In pursuance of instructions contained in the Ministry of Personnel Public Grievances & Pension (Department of Personnel & Training)O.M.No.35034/3/2008/Estt(D), dated 19-05-2009 received under Dept. of S&T, New Delhi OM No.11019/2008-CDN, dated 08-06-2009, the following group 'B' (Non Gazetted) Officer of Southern Zone Office, Survey of India, Bangalore, is hereby granted third financial upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme (MACP) for the Central Government Civilian employees with effect from the date shown against her name.

SI.	Name & Designation	Pay Matrix and	Date of	Remarks
No.	Smt.	Level	upgradation	
1.	L.A. Rekha,	III MACP in	08-09-2019	*
	Stenographer Gr.I	level 8 as per		
		VII CPC		

Authority: SGO letter No.C-857/1902-MACP(steno), dated 19-2-2020.

एम.ए.सी.पी. योजना के अधीन उच्च वेतन लेवल की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि जो कर्मचारी एम.ए.सी.पी. योजना के लाभ को स्वीकार करते हैं उन्हें भविष्य में आने वाली पदोंनितयों को बिना शर्त स्वीकार होगा / The grant of higher pay level under MACP scheme is subject to condition that, the employee who accept the benefits under MACP scheme has to accept his/her promotion arising in future unconditionally.

2. उपर्युक्त अधिकारी को एम्.ए.सी.पी. के अंतर्गत नए वेतनमान में वेतन नियतन हेतु FR 22(1)(a)(1)के अधीन विकल्प देना होगा | कार्यालय प्रमुख द्वारा विकल्प के अनुसार उपर्युक्त अधिकारी का वेतन नियतन किया जाएगा / The above Officer is required to exercise an option under FR 22(1)(a)(1) for fixation of pay in the new

scale. In accordance with the option, the pay of the above Officer will be fixed by the Head of Office.

- 3. यदि उपर्युक्त अधिकारी के खिलाफ कोई सतर्कता मामला / अनुशासनात्मक कार्रवाई या दण्ड लंबित है तो एम्.ए.सी.पी. के आदेश को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा / In case if any vigilance case / disciplinary proceeding or pendency of punishment against the above Officer is noticed, the MACP order will not be implemented.
- 4. इनमें होने वाले अतिरिक्त व्यय का निपटान कर्नाटक भू-स्थानिक आंकडा केंद्र और दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय को वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत बजट अनुदान से किया जाएगा तथा उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जाएगा / The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant of KGDC&SZO for the year 2020-21 and debited to the appropriate head of account.

अरुण कुमार डी कर्नल अपर महासर्वेक्षक

वितरण /DISTRIBUTION

- 1. The Surveyor General of India, Dehradun
- 2. Regional Pay & Accounts Officer, Hyderabad
- 3 . <u>ADDITIONAL SURVEYOR GENERAL</u> :-NZ, CHANDIGARH / EZ, KOLKATA / WZ, JAIPUR / CENTRAL ZONE, JABALPUR / IISM, HYDERABAD / PZ, DEHRADUN / SPECIALIZED ZONE, DEHRADUN / NEZ, SHILLONG
- 4 <u>The DIRECTOR</u>: KGDC, Bangalore / AP&T GDC, Hyderabad / K&L GDC, Thiruvananthapuram / TNP&ANI GDC, Chennai
- 5. E&AO, KGDC, Bangalore